भारत सरकार/Government of India,
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण/SEEPZ-SEZ AUTHORITY,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई/ / Andheri (E), Mumbai –400 096
टेलि. / Tel. : 022-28294751/28294701, फैक्स/Fax:28291754
ई-मेल / E-mail: dcseepz-mah@nic.in, वेबसाइट / Website: www.seepz.gov.in

No. SEEPZ SEZ:Estate:AS:61:2019-20/01643 दिनांक: 01 फरवरी, 2023

विषय: सीप्ज़-सेज़ में यूनिट की स्थापना के लिए स्थान के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण सीप्ज़-सेज़ में स्थित सरकारी स्वामित्व वाले एसडीएफ में रिक्त स्थान/गालों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। जो उद्यमी सेज़ अधिनियम और सेज़ नियमों के अनुसार सीप्ज़-सेज़ में एक यूनिट स्थापित करने में रुचि रखते हैं, यूनिट स्थापित करने के लिए वे किसी भी सेक्टर में स्थान के लिए अपना प्रस्ताव/आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नवीकरणीय आधार पर 5 साल के पट्टे पर सीप्ज़ में उपलब्ध स्थानों का विवरण निम्नलिखित है, जो अनुमोदन समिति की मंजूरी के बाद विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी एलओए के साथ सह-टर्मिनस होगा:

क्रमांक	यूनिट संख्या	स्थान	वर्ग मीटर में कारपेट क्षेत्र
1	18	एसडीएफ-I	376 वर्ग मीटर
2	19	एसडीएफ-I	823 वर्ग मीटर
3	20	एसडीएफ-I	823 वर्ग मीटर
4	24	एसडीएफ-I	712 वर्ग मीटर
5	74	एसडीएफ-III	453 वर्ग मीटर
6	150	एसडीएफ-V	493 वर्ग मीटर
7	129B (मई 2023 में उपलब्ध होने की संभावना)	एसडीएफ-V	225 वर्ग मीटर
8	130 (मई 2023 में उपलब्ध होने की संभावना)	एसडीएफ-V	432 वर्ग मीटर
9	131 (मई 2023 में उपलब्ध होने की संभावना)	एसडीएफ-V	614 वर्ग मीटर
10	जी-46	जी एंड जे कॉम्प्लेक्स-I	394 वर्ग मीटर
11	जी-34	जी एंड जे कॉम्प्लेक्स-III	664 वर्ग मीटर

1. ए. एसडीएफ-I को ध्वस्त करने तक क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 में यूनिट आवंटित किए जाएंगे, जोकि 2024 के अंत तक होने की संभावना है। हालांकि, उक्त आवंटियों को नव निर्मित भवन यानी नेस्टीट-02 में बिना किसी मुआवजे के पुनर्स्थान के लिए उनकी लिखित सहमति के अधीन और नई बिल्डिंग में 4500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष की दर से नया किराया स्वीकार करने पर तथा अन्य सभी शर्तों का अनुपालन करने पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेदन के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा।

2. परियोजना की स्थापना के लिए स्थान के लिए आवेदन अपेक्षित आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म-एफ के साथ इस कार्यालय में जमा किए जाने चाहिए, जिसे यहां www.sezindia.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. स्थान आवंटन के लिए पात्रता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्रत्येक आवेदक द्वारा 50 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर तय की जाएगी:-

i. **अगले 5 वर्षों में विकास की परिकल्पना** **अंक: 10**

विकास का अर्थ है 5 वर्षों में निर्यात में वृद्धि की परिकल्पना। हर साल की ग्रोथ ली जाएगी और फिर उसका औसत निकाला जाएगा। निर्यात में वृद्धि का अनुमान लगाते समय, आवेदकों को सहायक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।

नमूना: अगर किसी यूनिट ने पहले साल में 100 रुपये का निर्यात किया। दूसरे साल में 150 रुपये, तीसरे साल में 200 रुपये, चौथे साल में 175 रुपये और 5+ वर्षों में 210 रुपये का। इसलिए उसकी वृद्धि क्रमशः 50%, 33.33% (-12.5%, 0.2%) होगी और इसका औसत (20.20%) 5 साल की अवधि के दौरान वृद्धि के रूप में लिया जाएगा।

ii. **5 वर्षों में रोजगार की परिकल्पना** **अंक: 10**

इसका मतलब है कि आवेदक द्वारा 5 वर्षों में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या। उसका औसत प्रति वर्ग फीट निकाला जाएगा। इसमें 5 वर्षों के दौरान सभी कर्मचारी (स्थायी और संविदात्मक) शामिल होंगे।

नमूना: एक इकाई 1000 वर्ग फुट जगह के लिए आवेदन कर रही है और उन्होंने पहले वर्ष में 100, दूसरे वर्ष में 125, तीसरे वर्ष में 145 और चौथे वर्ष में 160 और 5वें वर्ष में 175 रोजगार उत्पन्न होने का अनुमान लगाया है। अतः औसत रोजगार 695/5-139 होगा। इसका मतलब है कि एक (01) रोजगार के लिए 7.19 वर्ग फुट की आवश्यकता है।

iii. **5 वर्षों में निर्यात की परिकल्पना** **अंक: 10**

इसका मतलब है कि आवेदक द्वारा 5 वर्षों के दौरान किए जाने वाले निर्यात की मात्रा और प्रति वर्ग फुट निर्यात प्राप्त करने के लिए इसे क्षेत्र से विभाजित किया जाएगा।

नमूना: यदि कोई इकाई 1000 वर्ग फुट गाला में 5 वर्षों की अवधि के दौरान 500 करोड़ रुपये का निर्यात करने का प्रस्ताव रखती है। इसका मतलब है कि प्रति वर्ग फुट उनका निर्यात 5 साल के लिए 50 लाख रुपये और प्रति वर्ष 10 लाख रुपये है।

iv. **5 वर्षों में निवेश की परिकल्पना** **अंक: 10**

आवेदकों को 5 वर्षों में प्रस्तावित कुल निवेश और प्रति वर्ग फुट निवेश का विशेष रूप से उल्लेख करना होगा। इस निवेश में केवल बुनियादी ढांचा और संयंत्र एवं मशीनरी शामिल होगी। विनिर्माण प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल और अन्य इनपुट को इसमें नहीं गिना जाएगा। आवेदकों को अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए अपनी वित्तीय क्षमताएं जैसे रिजर्व और सरप्लस में पैसा, स्वीकृत ऋण, आराम पत्र और अन्य वित्तीय विवरण जमा करना होगा।

नमूना: मान लीजिए कि एक यूनिट संयंत्र और मशीनरी में 2 करोड़ रुपये, बुनियादी ढांचे में 2 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव कर रही है और वे 1000 वर्ग फीट के गाला के लिए अपने उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखते हैं। ऐसे मामलों में उनका निवेश केवल 4 करोड़ रुपये गिना जाएगा। इसका मतलब है कि 5 साल के लिए प्रति वर्ग फीट निवेश करने वाले आवेदकों को 40000/- रुपये मिलेंगे।

4 अतिरिक्त वेटेज: उपरोक्त पात्रता मानदंडों के अलावा आवेदकों से निम्नलिखित विवरण भी प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है, जिस पर स्थान आवंटन करते समय प्राथमिकता दी जाएगी: **10 अंक**

क. हाथ में निर्यात ऑर्डर की पुष्टीकृत प्रति [कम से कम एक वर्ष के लिए ऑर्डर की प्रतियां जमा की जानी चाहिए]

ख. आवेदक नए या नवीन उत्पादों की योजना बना रहे हों या नए विचारों/प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हों (इसमें केवल मौजूदा उत्पादों की ब्रांडिंग शामिल नहीं है)

ग. मौजूदा सीप्ज़ यूनिटों को पिछले 5 वर्षों के अपने निर्यात और अपने समूह/सहयोगी कंपनियों के निर्यात का विवरण देना होगा।

घ. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विवरण, यदि कोई हो,

ङ. विनिर्माण या निर्यात में अनुभव रखने वाले आवेदकों को गैर-अनुभवी लोगों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

च. निवेश और प्रस्तावित निर्यात को उचित ठहराने के लिए आवेदक की वित्तीय ताकत के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए जाएं।

5. डीटीए यूनिट के आवेदन पर भी उपरोक्त मानदंड के अनुसार योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

6. उपरोक्त परिभाषित मापदंडों के अलावा, अतिरिक्त शर्तें शामिल की गई हैं जिनमें कहा गया है कि निम्नलिखित आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा:-

क. जिन आवेदकों का लंबित बकाया या किसी अन्य मामले के कारण सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के साथ कोई मुकदमा चल रहा है।

ख. प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए वैध कारण के बिना सेज़ नियम, 2006 के अनुसार एलओए जारी होने के 6 महीने बाद भी उप-पट्टा समझौता जमा न करना।

ग. उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास एफई वसूली के लिए लंबित आवेदकों की तुलना में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमेय सीमा से परे कोई विदेशी मुद्रा लंबित नहीं है: अनुमेय समय सीमा से परे। लंबित एफई पर प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा।

7. इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी और स्थान का आवंटन अनंतिम आधार पर किया जाएगा और अंतिम आवंटन अनुमोदन समिति द्वारा परियोजना की मंजूरी और एलओए जारी करने और सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद किया जाएगा।

8. आवंटियों/उद्यमियों को अनुमोदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने के भीतर उप-पट्टा समझौता निष्पादित करना होगा।

9. आवश्यक स्थान के लिए वार्षिक किराया/सेवा शुल्क/बीएमसी कर का भुगतान परिसर के आवंटन पर अग्रिम रूप से किया जाना चाहिए। अन्य सभी शुल्कों का भुगतान यूनिट धारक को वास्तविक रूप से करना होगा।

10. आवेदक को "ए" में विवरण संलग्न अनुलग्नक ए जमा करना होगा।

11. आवेदक को विशिष्ट इकाई संख्या का उल्लेख करना होगा। और उनकी आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र विशिष्ट इकाई संख्या/गाला संख्या और क्षेत्र के बिना किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. आवेदन निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए:-

    क. रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। 5000/- फॉर्म एफ के अनुसार

    ख. आवेदन और स्थान की आवश्यकता का विवरण देते हुए अग्रेषित पत्र

    ग. फॉर्म एफ

    घ. अनुबंध ए

    ङ. सहायक दस्तावेज़

बिंदु संख्या 6 और 1 ए के संबंध में घोषणा

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन एक सीलबंद लिफाफे में संपदा प्रबंधक, दूसरा तल, सर्विस सेंटर बिल्डिंग के पते पर जमा किए जाने चाहिए। सीप्ज़-सेज़ में कंपनी के कर्मचारी द्वारा हाथ से डिलीवरी द्वारा या स्पीड पोस्ट/कूरियर के माध्यम से जमा किए जाने चाहिए। लिफाफे के ऊपर "सीप्ज़-सेज़ में स्थान का आवंटन" लिखा होना चाहिए और 24 फरवरी, 2023 को शाम 04.00 बजे तक या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त और अपूर्ण/खुले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और उन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा। सीप्ज़ के किसी भी बॉक्स में डाले गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी सीलबंद लिफाफे 24.02.2023 को शाम 05.00 बजे सम्मेलन कक्ष, दूसरी मंजिल, सीप्ज़ सेज़ सेवा में आवेदकों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोले जाएंगे और इस संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जाएगी।

यह विकास आयुक्त/अध्यक्ष, सीप्ज़ सेज़ प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-
(सी.पी.एस. चौहान)
सचिव
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

प्रति,

क. सीप्ज़ वेबसाइट,

ख. संपदा प्रबंधक को समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए

अनुलग्नक क

मौजूदा यूनिट/नई यूनिटों द्‌वारा स्थान की आवश्यकता का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
क्रमांक	यूनिट का नाम	मौजूदा यूनिट का स्थान, यदि कोई हो	स्थान की प्राथमिकता	स्थान की आवश्यकता वर्ग मीटर में	स्थान की आवश्यकता वर्ग मीटर में	**मौजूदा (पांच वर्ष)**			**अनुमानित (पांच वर्ष)**									**अतिरिक्त जानकारी**				
						निर्यात (लाख रूपये में)	एनएफई (रुपए लाख में)	रोज़गार (संख्या में)	निर्यात (5 वर्ष) (लाख रुपये में)	प्रति वर्ष प्रति वर्ग फीट निर्यात की परिकल्पना (रु.)	5 वर्षों में अनुमानित औसत वृद्धि (%)	5 वर्षों में एफई व्यय की परिकल्पना (लाख रुपये में)	एनएफई (रुपए लाख में)	5 वर्षों में निवेश (लाख रुपये में)	प्रति वर्ग फुट परिकल्पित निवेश (रु.)	5 वर्षों के दौरान रोजगार	प्रति रोजगार वर्ग फुट की आवश्यकता	हाथ में पक्का ऑर्डर	नया/ अभिनव उत्पाद	यदि मौजूदा यूनिट है, तो पिछले 5 वर्षों में यूनिट द्‌वारा निर्यात	विनिर्माण में अनुभव	मौजूदा यूनिट के कार्यालय का किराया बकाया, यदि कोई हो (रु.)

भारतसरकार/ **GOVERNMENT OF INDIA,**
सीप्ज़- सेज़प्राधिकरण/ **SEEPZ SEZ AUTHORITY,**
वणिज्यऔरउद्योगमंत्रालय, **MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,**
अंधेरी (मुंबई) 400096. **ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400096**
Tel: 022-28294751/28294701, Fax: 022-28291754
E-mail: dcseepz-mah@nic.in, **Website:** www.seepz.gov.in

सत्यमेव जयते

No. SEEPZ SEZ:Estate:AS:61:2019-20: /01643

01st February, 2023

Sub: Inviting Applications for allotment of space for setting up of Unit in SEEPZ SEZ – regd..

The SEEPZ SEZ Authority invites applications for allotment of spaces/Galas in the Govt. owned SDFs located inside SEEPZ SEZ. The entrepreneurs who are interested in setting up Unit at SEEPZ-SEZ in terms of the SEZ Act and SEZ Rules, may submit their proposal/application for space for setting up of unit for any sector. Following are the details of spaces available in SEEPZ on a 5 years lease on renewable basis which will be co-terminus with the LOA issued by the O/o the Development Commissioner after approval of the Approval Committee :-

Sr. No.	Unit Nos.	Location	Carpet area in sq.mtr.
1	18	SDF-I	376 sq. mtr.
2	19	SDF-I	823 sq. mtr.
3	20	SDF-I	823 sq. mtr.
4	24	SDF-I	712 sq. mtr.
5	74	SDF-III	453 sq. mtr.
6	150	SDF-V	493 sq. mtr.
7	129 B (Likely to be available in May 2023)	SDF-V	225 sq. mtr.
8	130 (Likely to be available in May 2023)	SDF-V	432 sq. mtr.
9	131 (Likely to be available in May 2023)	SDF-V	614 sq. mtr.
10	G-46	G & J Complex-I	394 sq. mtr.
11	G-34	G & J Complex-III	664 sq. mtr.

1.A. The Units at Sr. no. 1,2,3 & 4 shall be allotted till the demolishing of SDF-I which is likely to happen towards end of 2024. However, the said allottees may be relocated in newly constructed building i.e. NEST-02 subject to their written consent for re-location without any compensation and on acceptance of the new rent @ Rs. 4500/- per sq. mtr. p.a. in the new building and on compliance of all other conditions. An Undertaking to this effect will be required to be submitted alongwith the application.

01/02/23

2. The applications for space for setting up the project along with the requisite necessary supporting documents should be submitted to this office with the prescribed Form-F which may be downloaded from www.sezindia.nic.in

3. The eligibility for allotment of space will be decided on the Marks obtained by each applicant out of 50 Marks, as per the following criteria:

i. **Growth envisaged in next 5 years** **Marks: 10**

Growth means growth in export envisaged in 5 years. Each year's growth will be taken and then its average will be worked out. While projecting the Growth in export, applicants have to provide supporting documents.

Sample: A unit is doing export of Rs.100 in 1st year, Rs.150 in 2nd year, Rs. 200 in 3rd year, Rs.175 in 4th year and Rs. 210 in 5th year. Hence their growth will be 50%, 33.33% (-)12.5%, 0.2% respectively and its average(20.20%) will be taken as growth during 5 years period.

(ii)Employment envisaged in 5 years **Marks: 10**

It means number of employees to be deployed by the applicant in 5 years. Average of that shall be calculated in per Sq. feet. It will be inclusive of all employees (permanent and contractual) during 5 years

Sample: A unit is applying for 1000 Sq. feet space and they projected the employment to be generated as 100 in 1st year, 125 in 2nd year, 145 in 3rd year, 160 in 4th year and 175 in 5th year. Hence the average employment will be 695/5=139. It means 7.19 Sq. feet needed for one (1) employment.

(iii) Export envisaged in 5 years **Marks: 10**

It means the quantum of export to be made by the applicant during 5 years and that shall be divided by the area to get the per Sq. feet export.

Sample: If a unit proposes to make export of Rs. 500 crores during the span of 5 years in 1000 Sq. feet gala. It means their export per Sq. feet is Rs. 50 lakhs for 5 years and Rs. 10 lakhs per year.

iv. **Investment envisaged in 5 years-** **Marks: 10**

01/04/23

Applicants have to specifically mention the proposed total Investment in 5 years and per Sq. ft. investment. This investment shall include only Infrastructure and Plant & Machinery. Raw Material and other inputs used for the manufacturing process shall not be counted in it. Applicants have to submit their financial capabilities such as money in Reserve & Surplus, Loan approved, letter of comforts and other financial details to substantiate their claim.

Sample: Suppose a unit proposing to make investment of Rs.2 Cr. in plant and machinery, Rs.2 Cr. in Infrastructure and they propose Rs. 5 Cr. for Raw Materials required for their production for the gala of 1000 Sq. Feet. In such case their investment will be counted as Rs. 4 Cr. Only. It means applicants per Sq. Feet investment for 5 years is Rs.40000/=

4. Additional Weightage: Apart from above eligibility criteria applicants are also requested to provide the following details, on which preference will given while allotment of space: **10 Marks**

a. Confirmed export orders in hand [copies to be submitted for orders of atleast one year]
b. Applicant planning for new or innovative products or using new idea/technology. (This excludes mere branding of existing products)
c. Existing SEEPZ unit must give the details of their exports & exports of their group/sister concerns in last 5 years.
d. Foreign Direct Investment, if any,
e. Applicant having experience in manufacturing or export will be given preference over non-experienced one.
f. Documentary evidence w.r.t financial strength for the applicant to be provided to justify investment and proposed exports.

5. Application of DTA unit will also be considered on merit in terms of above criterion.

6. In addition to the above defined parameters, additional conditions are incorporated stating that following applications will not be considered :-

a. Applicants having any litigations with SEEZP SEZ Authority on account of pending dues or any other matter.
b. Non-submission of sub-lease agreement even after 6 months of issuance of LOA as per SEZ Rules 2006 without valid reason to the satisfaction of the Authority
c. Preference will be given to applicants having no foreign exchange pending beyond the permissible limit as per RBI guidelines over the applicants having pending FE realization beyond permissible time limit. Declaration to be submitted on FE pendency.

01/02/22

7. Applications will be scrutinized by a Committee constituted for this purpose and allotment of space will be done on provisional basis and final allotment shall be made after approval of project by the Approval Committee and issuance of LOA and approval of SEZ Authority.

8. The Allottees/Entrepreneurs shall execute the sub-lease agreement within 6 months from the date of receipt of the Letter of Approval.

9. The annual rent/service charges/BMC Taxes for the required space to be paid in advance on allotment of the premise. All the other charges have to be paid in actual by the Unitholder.

10.The applicant has to submit details in Annexure "A" enclosed.
11.The applicant has to mention the specific unit no. and the area as per their requirement Any application without specific unit no./gala no. and the area will not be considered.

12. The application should be in the following manner :-

(a) Demand draft of Rs. 5000/- as per Form F
(b) Forwarding letter giving details of the application and requirement of space
(c) Form F
(d) Annexure A
(e) Supporting documents
(f) Declaration i.r.o. point no. 6 & 1 A

The applications complete in all respect as per the above instructions should be submitted in a sealed envelope addressed to Estate Manager, 2nd Floor, Service Centre Bldg. SEEPZ SEZ either by hand delivery by employee of the company or through speed post/courier. The envelope should be superscribed "ALLOTMENT OF SPACE IN SEEPZ-SEZ" and reach on or before **24th February, 2023 upto 04.00 P.M**. The applications received beyond the stipulated period and incomplete/open will not be accepted and the same will be rejected. The applications dropped in any box at SEEPZ will not be entertained. All sealed envelopes will be opened in presence of applicants/representatives on **24.02.2023 at 05.00 p.m.** at Conference room, 2nd floor, SEEPZ SEZ Service and no separate intimation will be given in this regard.

This issues with the approval of Development Commissioner/Chairman SEEPZ SEZ Authority.

01.02.23

(C.P.S. CHAUHAN)
Secretary
SEEPZ SEZ Authority

To,

a. SEEPZ Website,
b. Estate Manager for publishing in Newspapers.

Annexure A

Details of Space Requirement by Existing unit/New units

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						Existing (Five Years)			Projected (Five Years)									Additional Information				
Sr. No.	Name of the units	Location of the Existing Unit if any	Prefe-rence of space	Space require-ment Sq. mtr.	Space requir e-ment Sq. ft.	Export (Rs. in Lacs)	NFE (Rs. in Lacs)	Employ-ment (in nos.)	Export (5 years) (Rs. in Lacs)	Export Envisa-ged per year per sq. ft. (Rs.)	Average Growth envisa-ged in 5 years (%)	FE outgo envisa-ged in 5 years (Rs. in lacs)	NFE (Rs. in Lacs)	Invest-ment in 5 years (Rs. in Lacs)	Invest-ment envisag ed per sq. ft (Rs.)	Em-ploy-ment during 5 years	sq. ft. needed per employ-ment	Confir med orders in hand	New/ inno-vative pro-duct	If existing unit, Export of units in last 5 years	Expe-rience in manufactu re	O/s rental dues if any of the existing unit (Rs.)